बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

आ0सं0 –12/प0–कोर्ट–01–10/2025 /पटना, दिनांकः–

श्री आनन्द किशोर, तत्कालीन सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं तत्कालीन प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गई अनुशंसाओं के समीक्षोपरान्त BMSICL, पटना द्वारा दवाओं के क्रय हेतु आमन्त्रित निविदाओं के निष्पादन मे तकनीकी मूल्यांकन समिति के बतौर सदस्य के रूप में डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निदेशक प्रमुख, (सम्प्रति निलम्बित), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना द्वारा दवा क्रय में अनियमितताए बरतने का आरोप जाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापाक– 653 (12) दिनाक–13.10.2014 द्वारा प्रपत्र ''क'' गठित कर विभागीय कार्यवाही स0–89/14 संचालित की गई थी।

2 प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–917 (अनु0)/अ0वि0जा0आ0 दिनाक–25.07.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के सदर्भ में प्रेषित अन्तिम जांच प्रतिवेदन मे अकित निष्कर्ष और डा0 प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा में अंकित बिन्दुओ की विभागीय समीक्षोपरान्त उनसे प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा में अंकित तथ्यों को अस्वीकृत करते हुए डा0 सुरेन्द्र प्रसाद को निलम्बन से मुक्त करते हुए मुख्यालय में योगदान कराते हुए निम्नाकित शास्तियॉ उनके विरूद्ध निर्धारित की गई :–

(क) संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।
(ख) निलम्बन अवधि मे जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे अन्य कोई शेष राशि देय नही होगी।

3. उल्लेखनीय है कि डॉ0 प्रसाद दिनांक–31.12.2017 को वार्धक्य सेवानिवृत हो गये हैं, जिसके कारण विभागीय आदेश स0–1098 (12), दिनाक–16.11.2017 के द्वारा अध्यारोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक निष्प्रभावी हो गया था, एवं इस सबंध मे विभागीय पत्रांक–460 (12), दिनांक–18.05.2018 द्वारा महालेखाकार, बिहार को इसकी सूचना भी दी गई थी।

4. उक्त विभागीय आदेश स0–1098 (12), दिनाक–16.11.2017 के द्वारा अध्यारोपित दण्ड को निरस्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–1549/2018 डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य सरकार एव अन्य दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–09.01.2023 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

> Having considered the submissions made on behalf of the parties and after careful consideration of materials placed on record, this court deems it fit and proper to set aside the order of punishment as contained in Memo No. 1098 dated 16.11.2017.

Accordingly, this writ petition is allowed.

5 उक्त आदेश के आलोक में विभाग के स्तर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 सं0–1363/2023 दायर किया गया। उक्त एलपी0ए0 मे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–26.03.2025 को सुनवाई के क्रम मे आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है :–

> Mr. Aditya Nath Jha, the learned Advocate for the appellants/State seeks permission to withdraw this appeal.
>
> The appeal is dismissed as withdrawn

अत: समादेश याचिका सं0–1549/2018 में दिनाक–09.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद तत्कालीन निदेशक प्रमुख (सम्प्रति सेवानिवृत), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय आदेश स0–1098 (12), दिनांक–16.11.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मो0 मोजीबुर रहमान)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 899 (12) /पटना, दिनांक 09/07/2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि विभागीय आदेश स0–1098 (12), दिनाक–16.11.2017 को अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने के फलस्वरूप इनका अनुमान्य पेंशन पुनरीक्षण/बकाया वेतन (यदि हो तो) में अग्रेतर कार्रवाई के संबध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमत्री सचिवालय, पटना/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 और 09 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– **अवर** सचिव–सह–**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी** पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निदेशक प्रमुख, (सम्प्रति सेवानिवृत), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rahman
8.7.25
सरकार के अवर सचिव।

Order sec-12 d.drive//......